[2022] 7 एस.सी.आर. 309

कार्यकारी अभियंता (आर और बी) और अन्य

बनाम

गोकुल चंद्रा कानूंगो (स्वर्गीय) विधिक प्रतिनिधि द्वार

(सिविल अपील संख्या 8990 / 2017)

30 सितंबर, 2022

[बी. आर. गवई और बी. वी. नगरथ्ना, न्यायमूर्तिगण]

*मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 31(7)(a)- पंचाट- मध्यस्थ पंचाट पर ब्याज - मध्यस्थ अधिकरण में विवेक निहित - संविधान के धारा 142 के अंतर्गत ब्याज की दर में घटाव - ठहराया गया: धारा 31(7)(a) स्वयं अभिप्रेत है कि मध्यस्थ अधिकरण जो दर समझे उस पर ब्याज होगा - जब किसी मध्यस्थ अधिकरण को ऐसी दर पर ब्याज प्रदान करने का विवेक प्रदान किया जाता है, तो मध्यस्थ अधिकरण पर कारण देने की जिम्मेदारी होगी कि यह कैसे मानता है कि ब्याज की दर उचित है - इसके अलावा, मध्यस्थ अधिकरण को किसी मामले के तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और निर्धारित करना होगा कि ब्याज पूरे पैसे पर चुकाया जाए या किसी भाग पर और यह भी कि यह किस समय के लिए प्रदान किया जाना चाहिए - वर्तमान मामले में, प्रतिवादी का यह स्वीकार करने का आचरण कि वह लंबे समय तक चुप रहा, उसे ऐसे समय के दौरान ब्याज के लिए अयोग्य बना दिया - किसी पक्ष को अपनी स्वीकृतियों से लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है - जहां तक ब्याज की दर का सवाल है, वर्तमान मामले में, मध्यस्थ ने, किसी कारण को स्वीकार किए बिना, ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष प्रदान की, जिस समय प्रक्रिया चल रही थी और पंचाट किया गया था और तक वास्तविक भुगतान होता रहा - प्रतिवादी के आचरण को ध्यान में रखते हुए, जो प्रत्येक चरण पर प्रक्रिया में देरी कर रहा था जिससे विवाद की लंबी अवधि हो गई, ब्याज की दर सभी तीन चरणों में, यानी पूर्व-संदर्भ काल, **वादकालीन** और पोस्ट- पंचाट काल में, संविधान के धारा 142 के अंतर्गत 9% प्रति वर्ष तक घटाई गई। - भारतीय संविधान - धारा 142 ।*

अपील को आंशिक रूप से स्वीकारते हुए, अदालत ने

अभिनिर्धारित किया: 1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31 की उपधारा (7) की उपधारा (a) का अवलोकन करना यह प्रकट करता है कि, संदेह नहीं, मध्यस्थ अधिकरण कोपंचाटकी राशि में ब्याज शामिल करने का विवेक प्रदान किया गया है, पूरे या पैसे के किसी भाग पर, कारण उत्पन्न होने की तारीख और पंचाट की तारीख के बीच पूरे या किसी भाग की अवधि के लिए। हालांकि, यह दिखाएगा कि धारा स्वयं ब्याज को ऐसी दर पर होने की मांग करती है जैसा मध्यस्थ अधिकरण उचित मानती है। जब किसी मध्यस्थ अधिकरण को उस दर पर ब्याज प्रदान करने का विवेक प्रदान किया जाता है जिसे वह उचित मानता है, तो मध्यस्थ अधिकरण पर जिम्मेदारी डाली जाएगी कि यह कैसे मानता है कि ब्याज की दर उचित है। इसके अलावा, मध्यस्थ अधिकरण को मामले के तथ्यों पर मनन करना होगा और निर्धारित करना होगा कि ब्याज पूरे पैसे पर चुकाया जाए या किसी भाग पर और यह भी कि क्या यह पूरे या किसी भाग की अवधि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए, जिस तारीख को कारण उत्पन्न हुआ और पंचाट की तारीख पर। [अनुच्छेद 10]

2 वर्तमान मामले में, मध्यस्थ ने किसी कारण बताए बिना 18% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज प्रदान किया है, जिस समय तक प्रक्रियाएँ लंबित थीं और पंचाट के होने के बाद भी वास्तविक भुगतान होने तक उसी दर पर। [अनुच्छेद 11]

3. प्रतिवादी का ऐसा व्यवहार कि वह 30 अगस्त, 1997 से 25 जुलाई, 1989 तक लंबे समय तक चुप रहना, उसे उक्त अवधि के दौरान ब्याज के लिए अयोग्य बना देगा। इसी तरह, हालांकि 14 फरवरी 1990 को एक फैसला पास हुआ और प्रतिवादी से मूल समझौता दाखिल करने के लिए कहा गया, वह 4 फरवरी 2000 तक कोई कदम नहीं उठाया। इस दौरान, 1996 का अधिनियम लागू हुआ। इसके बाद, प्रतिवादी ने निपटे हुए मुकदमे में एक आवेदन दाखिल किया जो 4 फरवरी 2000 को खारिज हो गया। इसके बाद, वह उच्च न्यायालय में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 के तहत एक आवेदन लेकर गया जो 15 अक्टूबर 2001 को स्वीकृत हुआ। इससे यह देखा जा सकता है कि लगभग दस वर्षों की अवधि के लिए, प्रतिवादी फिर से चुप था। यदि उसने फैसला पास होने के तुरंत बाद मूल समझौता जमा किया होता, 14 फरवरी 1990 को, मध्यस्थ प्रक्रिया प्रारंभ होती और तुरंत उसके बाद समाप्त हो जाती। इस प्रकार, मध्यस्थ को 14 फरवरी 1990 से 4 फरवरी 2000 तक की अवधि के लिए ब्याज प्रदान करने में सही नहीं माना जाना चाहिए। किसी पक्ष को अपनी ही ग़लतियों से लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, हालांकि 1996 के अधिनियम की शुरुआत के बाद, प्रतिवादी निपटे हुए मुकदमे में एक आवेदन नहीं कर सकते थे, उसने ऐसा करने का

निर्णय लिया और केवल क्षमता की कमी के आधार पर उक्त आवेदन को खारिज होने के बाद ही उच्च न्यायालय में धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसे 15 अक्टूबर 2001 को स्वीकृत किया गया। इसलिए प्रतिवादी 14 फरवरी 1990 से 15 अक्टूबर 2001 तक की अवधि के लिए ब्याज के लिए पात्र नहीं होंगे। [अनुच्छेद 12, 13 और 14]

4. प्रस्तुत मामला एक ऐसा मामला है जिसमें इस अदालत को भारतीय संविधान की धारा 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि ब्याज की दर को घटाया जा सके। प्रतिवादी द्वारा प्रत्येक चरण पर प्रक्रिया में देरी करने वाले व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, जिससे विवाद में लंबा समय लग गया, हालांकि मुख्य पंचाट में हस्तक्षेप करना न्याय के हित में नहीं होगा, यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें तीन चरणों पर ब्याज, अर्थात पूर्व-संदर्भ अवधि, *वादकालीन* और पोस्ट- पंचाट अवधि, की दर को घटाने की जरूरत है। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी 30 अगस्त 1977 और 25 जुलाई 1989 के बीच की अवधि और 14 फरवरी 1990 और 4 फरवरी 2000 के बीच की अवधि के लिए किसी भी ब्याज के लिए पात्र नहीं होंगे। शेष अवधि के प्रति तीनों चरणों पर, अर्थात पूर्व-संदर्भ अवधि, *वादकालीन* और पोस्ट- पंचाट अवधि, प्रतिवादी को प्रतिवर्ष 9% की दर पर ब्याज होगा। [अनुच्छेद 20 और 21]

राजेन्द्र निर्माण कंपनी बनाम महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य (2005) 6 SCC 678 : [2005] 2 सप्ल. एस.सी.आर. 582; *कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड बनाम जी. हरिश्चंद्र रेड्डी और अन्य* (2007) 2 SCC 720 : [2007] 1 एस.सी.आर. 698; और *मैकडरमोट इंटरनैशनल इंक. बनाम बर्न स्टैंडर्ड कं. लिमिटेड और अन्य* (2006) 11 SCC 181 : [2006] 2 सप्ल. एस.सी.आर. 409 - निर्भर किया गया। *हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड बनाम मुख्य अभियंता के माध्यम से उड़ीसा राज्य का प्रमुख* इंजीनियर (2015) 2 SCC 189 : [2014] 14 एस.सी.आर. 1029*; दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली मेट्रो रेल निगम* (2022) SCC ऑनलाइन SC 549 - संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2005] 2 सप्ल. एस.सी.आर. 582	अनुच्छेद 7	पर निर्भर किया गया
[2007] 1 एस.सी.आर. 698	अनुच्छेद 7	पर निर्भर किया गया
[2006] 2 सप्ल. एस.सी.आर. 409	अनुच्छेद 7	पर निर्भर किया गया
[2014] 14 एस.सी.आर. 1029	अनुच्छेद 10	को संदर्भित किया गया

सिविल अपीलीय अधिकारिकता: सिविल अपील संख्या. 8990 / 2017

2007 के ए आर बी ए संख्या 25 में कटक, उड़ीसा के उच्च न्यायालय के 18.04.2012 के निर्णय और आदेश से

सिबो शंकर मिश्रा, देबाब्रत दाश, निरंजन साहू, उमाकांत मिश्रा, वकील अपीलदार के लिए।

अशोक पाणिग्रही, नवाब सिंह, मिस निकिता जयदेवन, मिस गीतांजलि दास कृष्णन, प्रतिवादियों के लिए वकील।

न्यायालय द्वारा निर्णय प्रदान किया गया था

बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति

1. अपीलदारों ने 18 अप्रैल 2012 को उड़ीसा की उच्च न्यायालय के विद्यालीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें संख्या 25 ऑफ 2007 में संघर्ष संघठन अपील को खारिज किया गया था।

2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाली संक्षिप्त घटनाएँ निम्नलिखित हैं:

प्रतिवादी को एनएच-6 पर कंजीपानी से कुंतला तक के 3 किलोमीटर अधूरे लिंक के निर्माण का ठेका 16 दिसंबर 1971 को प्रदान किया गया था। काम को एक साल के भीतर पूरा करना था, अर्थात 15 दिसंबर 1972 से पहले। ठेका राशि रु.4,59,330/- थी। हालांकि, निर्धारित तारीख तक काम पूरा नहीं हो सका और यह केवल 30 अगस्त 1977 को पूरा हुआ, जिस तारीख तक, प्रतिवादी को पहले ही रु.3,36,465/- की राशि चुकाई जा चुकी थी।

3. प्रतिवादी ने 25 जुलाई 1989 को अपीलकर्ता को अपने दावे के संबंध में सूचना जारी की। उस सूचना का जवाब अपीलकर्ता ने 10 अगस्त 1989 को दिया, जिसमें बताया गया कि रु.3,34,744/- के दावे के खिलाफ, प्रतिवादी को रु 3,36,465 राशि चुकाई गई थी। प्रतिवादी ने उसके बाद भुवनेश्वर के दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) के अदालत में ओ .एस. नं. 206 की 1989 में याचिका दायर की थी, जिसमें वह मध्यस्थ अधिनियम, 1940 (संक्षेप में, 1940 " अधिनियम") की धारा 20 के तहत विवाद का संदर्भ मध्यस्थ के लिए मांग रहा था। न्यायालय के आदेश द्वारा, जो 14 फरवरी 1990 को था, याचिका प्रतिवादी के पक्ष में न्यायिक रूप से पारित की गई थी और उसे अदालत में मौलिक एफ-2 समझौता दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया था, ताकि विवाद को मध्यस्थ के लिए संदर्भित किया जा सके। हालांकि,

प्रतिवादी ने निर्देशित रूप से मौलिक एफ-2 समझौता नहीं दाखिल किया। इस बीच, 1940 अधिनियम को रद्द कर दिया गया और मध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, 1996 "अधिनियम") प्रभावी हुआ।

4. प्रतिवादी ने उसके बाद निपटान प्रकरण में निचली अदालतके सामने एक आवेदन दायर किया, 1996 अधिनियम की प्रावधानों के तहत एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए। वही आवेदन निचली अदालत ने 4 फरवरी 2000 को अधिकार क्षेत्र की कमी के लिए खारिज कर दिया। प्रतिवादी ने उसके बाद उच्च न्यायालय के सामने 1996 अधिनियम की धारा 11 के तहत एम जे सी संख्या 36 की 2000 में एक आवेदन दाखिल किया, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए। उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित एकल न्यायाधीश ने, 15 अक्टूबर 2001 को आदेश द्वारा, उस आवेदन को स्वीकृत किया और श्री एस.के.. मोहन्ती को, उसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया।

5. 15 मार्च 2002 को, प्रतिवादी ने 15 दावा सिरों के तहत रु.1,45,28,198 - का अपना दावा दायर किया और 1 अप्रैल 1976 से 15 मार्च 2002 तक 19.5% ब्याज मांगा। प्रतिष्ठित मध्यस्थ ने, 24 अगस्त 2004 की तारीख केपंचाटद्वारा, सिर संख्या 1 से 14 के संबंध में रु.9,20,650/- की राशि प्रदान की। प्रतिष्ठित मध्यस्थ ने भी 1 अप्रैल 1976 से पंचाट की तारीख तक 18% प्रतिवर्षीय दर पर वादकालीन की ब्याज राशि प्रदान की, जो रु46,90,000/- बन गई। प्रतिष्ठित मध्यस्थ ने आगे निर्देशित किया कि उपर्युक्त दोनों राशियों की कुल राशि पर वास्तविक भुगतान होने तक प्रतिवर्षीय 18% दर पर भविष्य की ब्याज राशि चुकाई जाएगी। इससे असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत पंचाट को अस्वीकार करने के लिए जिला न्यायाधीश, कटक के अदालत में अधिक्रमण याचिका संख्या 153 की 2004 में एक याचिका दायर की। वही याचिका 24 जुलाई 2007 की आदेश द्वारा खारिज कर दी गई। इससे असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने 1996 अधिनियम की धारा 37 के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर की। वही भी आलोचित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। इससे असंतुष्ट होकर वर्तमान अपील।

6.हमने श्री सिबो संकर मिश्रा, अपीलकर्ताओं की ओर से प्रतिष्ठित वकील को सुना और श्री अशोक पाणिग्रही, प्रतिवादियों की ओर से प्रतिष्ठित वकील को भी सुना।

7 .श्री मिश्रा ने तर्क दिया कि प्रतिष्ठित मध्यस्थ ने 1977 से 1989 के बीच के समय के लिए ब्याज देने में बड़ी त्रुटि की है, क्योंकि प्रतिवादी बारह साल की अवधि के लिए गहरे नींद में था और अपने दावे के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिष्ठित मध्यस्थ ने 1990 से 2000 के बीच के समय के लिए भी ब्याज देने में त्रुटि की है, क्योंकि 14 फरवरी, 1990 के फैसले के अनुसार प्रतिवादी को विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए मौलिक एफ-2 समझौता दाखिल करने के लिए कहा गया था, परंतु प्रतिवादी ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया है कि प्रति वर्ष 18% की दर पर दिया गया ब्याज पूरी तरह अतर्कसंगत है। तर्क किया गया है कि रु.46,90,000/- की ब्याज राशि मुख्य पंचाटराशि रु.9,20,650/- की लगभग पाँच गुना है। वह इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए इस अदालत के निर्णय पर आधारित है, जो **राजेंद्र निर्माण कंपनी के मामले में है, महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य1 , कृष्णा भाग्य जला निगम लिमिटेड के मामले में, जी। हरिश्चंद्र रेड्डी और अन्य** [2] **और मैकडरमॉट इंटरनेशनल इंक के मामले में। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और अन्य** [3] में मध्यस्थ द्वारा प्रदान किया गया अत्यधिक राशि का ब्याज और उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित एकल न्यायाधीश द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर न्याय के हित में विपरीत होगा।

8 विपरीत में, श्री पाणिग्रही ने तर्क दिया कि प्रतिष्ठित मध्यस्थ द्वारा प्रदान की गई ब्याज दर में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, जिसे जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। उसने तर्क दिया कि 1996 अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) की प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जिसे इस अदालत की तीन जजों की पीठ ने ***हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड बनाम मुख्य अभियंता के माध्यम से उड़ीसा राज्य का प्रमुख इंजीनियर*** [4] के मामले में समझा है, प्रस्तुत मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जायज नहीं होगा।

9. 1996 के अधिनियम की धारा 31(7)(a) निम्नलिखित रूप में है:

"31. मध्यस्थीय पंचाट का रूप और सामग्री। .....

(7)(a) यदि पक्ष अन्यथा सहमत न हों, तो और जब तक एक मध्यस्थीय पंचाट पैसे की भुगतान के लिए नहीं है, मध्यस्थ अधिनियम पंचाट में जिस राशि के लिए पंचाट दिया जाता है उस पर ऐसी दर पर ब्याज शामिल कर सकती है, जो यह समझती है कि यह उचित है, पैसे के पूरे या किसी भाग पर, कारण कार्य उत्पन्न होने की तारीख और पंचाट बनाने की तारीख के बीच पूरे या किसी भाग की अवधि के लिए।"

10. 1996 की अधिनियम की धारा 31(7)(a) के प्रावधानों का विचार इस न्यायालय में कई मामलों में हुआ था, जिसमें ***हाइडर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड (उपरोक्त) और दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन5*** के मामले भी शामिल थे। 1996 की अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (7) की धारा (a) की समीक्षा से पता चलता है कि संदेह नहीं, एक विवेक अदालती अधिकरणमें निवेशित है जिसमें पूरे या पैसे के किसी भी हिस्से पर, पूरे या किसी भी अवधि के लिए ब्याज शामिल है, जिस दिन कारण क्रिया उत्पन्न हुई और जिस दिन पंचाट दिया गया। हालांकि, यह पता चलता है कि धारा स्वयं ब्याज को ऐसी दर पर मांगती है जैसे अदालती अधिकरणउचित समझती है। जब एक विवेक एक अदालती अधिकरण को ब्याज की दर पर पंचाट देने के लिए निवेशित होता है, जो यह मानता है कि यह उचित है, तो एक कर्तव्य अदालती अधिकरणपर होता है कि यह कैसे मानता है कि ब्याज की दर उचित है। यह भी देखा जा सकता है कि अदालती अधिकरण को भी पूरे पैसे या पैसे के किसी भी हिस्से पर ब्याज देने का एक विवेक है या कारण क्रिया की तारीख औरपंचाटदिए जाने की तारीख के बीच पूरे या किसी भी अवधि के लिए। जब अदालती अधिकरणको ऐसा एक विवेक सौंपा जाता है, तो अदालती अधिकरणको मामले के तथ्यों पर अपना मन लगाना होगा और तय करना होगा कि ब्याज पूरे पैसे पर चुकाया जाना है या पैसे के किसी भी हिस्से पर और यह भी कि यह पूरे या किसी भी अवधि के लिए पुरस्कारित किया जाना है जिस दिन कारण क्रिया उत्पन्न हुई और पंचाट दिए जाने की तारीख।

11. पंचाट की जांच, जिला न्यायाधीश का निर्णय और आदेश तथा उच्च न्यायालय की जांच से पता चलता है कि ऐसा कोई अभ्यास नहीं किया गया है। विद्वत मध्यस्थ, ने बिना किसी कारण बताए, वह अवधि के लिए प्रतिवर्ष 18% की दर पर ब्याज दिया है जब तक प्रक्रिया चल रही थी और पंचाट होने के बाद भी वास्तविक भुगतान होने तक उसी दर पर।

12. अविवादित स्थिति यह है कि हालांकि 30 अगस्त 1977 को अंतिम मापदंड हुआ, बारह वर्षों की अवधि के लिए, अर्थात 25 जुलाई 1989 तक, प्रतिवादी ने अपना दावा उठाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यह सिर्फ उस तारीख पर, अर्थात 25 जुलाई 1989, प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं को अपने दावे के बारे में सूचना जारी की। इस प्रकार, प्रतिवादी का ऐसे लंबे समय तक मौन रहने वाला आचरण उसे कहीं भी ब्याज पाने के लिए अयोग्य बना देगा।

13. इसी तरह, हालांकि 14 फरवरी 1990 को एक फैसला पास किया गया था और प्रतिवादी को मौलिक समझौता दाखिल करने के लिए कहा गया था, वह 4 फरवरी 2000 तक कोई कदम नहीं उठाया। बीच में, 1996 का अधिनियम लागू हुआ। उसके बाद, प्रतिवादी ने

निपटे हुए मुकदमे में एक आवेदन दाखिल किया जो 4 फरवरी 2000 को खारिज हो गया। इसके बाद, उसने उच्च न्यायालय के सामने अधिकृत करने के लिए अधिनियम 11 के अंतर्गत एक आवेदन एम जे सी संख्या 36 ऑफ 2000 दाखिल किया जो 15 अक्टूबर 2001 को स्वीकृत हो गया। इससे यह देखा जा सकता है कि लगभग दस वर्षों की अवधि के लिए, प्रतिवादी फिर से मौन मोड में था। अगर उसने 14 फरवरी 1990 को फैसला पास होने के तुरंत बाद मौलिक समझौता दाखिल किया होता, तो मध्यस्थता की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ होती और तुरंत समाप्त होती। इस प्रकार, विद्वत प्रतिष्ठित मध्यस्थ को 14 फरवरी 1990 से 4 फरवरी 2000 तक की अवधि के लिए ब्याज देने में उचितता नहीं थी। किसी पक्ष को अपनी खुद की चूकों से लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

14. इसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि, हालांकि 1996 अधिनियम की शुरुआत के बाद, प्रतिवादी ने निपटाए गए मुकदमे में एक आवेदन नहीं किया होता, वह ऐसा करने का चयन किया और केवल अधिकार की कमी की भूमिका पर उस आवेदन की खारिजी के बाद ही, उसने 1996 अधिनियम की धारा 11 के तहत उच्च न्यायालय में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसे 15 अक्टूबर 2001 को स्वीकृत किया गया। हम इसलिए पाते हैं कि प्रतिवादी 14 फरवरी 1990 से 15 अक्टूबर 2001 तक की अवधि के लिए ब्याज के लिए पात्र नहीं होंगे।

15. इससे हमें विदित मध्यस्थ द्वारा प्रदान की गई ब्याज की दर पर लौटा दिया गया है जिसे जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने मान्यता दी है। इसे देखना उचित होगा कि इस न्यायालय के **रजेंद्र निर्माण कंपनी** (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया जाएगा:

"**30**. फिर सवाल ब्याज पर आता है। अपीलकर्ता ने मुकदमों में ब्याज का दावा किया था। मध्यस्थ ने मुख्य राशि पर मुकदमों की तारीख से पंचाट की तारीख तक और पंचाट की तारीख से भुगतान की तारीख या फैसले की तारीख "जो भी पहले हो" तक प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत दर पर ब्याज दिया। इस अदालत ने मध्यस्थ के द्वारा ब्याज प्रदान करने की शक्ति के साथ संलग्न होने वाले *(i) प्रस्तुतिकरण से पहले की अवधि (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, धेनकनाल माइनर इरिगेशन डिवीजन बनाम एन.सी. बुधराज* [(2001) 2 SCC 721]); (ii) *वादकालीन (सचिव, सिंचाई विभाग, ओडिशा सरकार बनाम जी.सी. रॉय* [(1992) 1 SCC 508]); और (iii)पंचाट*की अवधि के बाद (हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य जम्मू और कश्मीर* [(1992) 4 SCC 217]) पर चर्चा की। *भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड* [(2005) 6 SCC 462 : AIR 2005 SC 2071 : JT (2005) 4 SC 73] में, हम में से एक (सी.के. ठाक्कर, जेड.)को मध्यस्थ द्वारा तीनों चरणों में ब्याज प्रदान करने

की शक्ति पर संबंधित निर्णयों पर विचार करने का मौका मिला। यह तय किया गया कि मध्यस्थ को ब्याज प्रदान करने की शक्ति थी। यदि हम वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखें कि समझौता 1987 में किया गया था, कार्य 1990 में एमएचएडीए द्वारा दिए गए विस्तार के बाद पूरा हुआ और मध्यस्थ ने 1995 में पंचाट पास किए, तो यह उचित, समानता और न्याय की हित में होगा अगर हम ब्याज की दर को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत में कम कर दें।"

16. इस न्यायालय ने, मध्यस्थ की तीन चरणों पर ब्याज प्रदान करने की शक्ति पर पूर्व निर्णयों को संदर्भित करते हुए पाया कि, उस मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, यह उचित, समान और न्याय की दृष्टि से होगा कि 18% प्रति वर्ष से ब्याज की दर को 10% तक घटा दिया जाए।

17.इस न्यायालय ने ***मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक.*** के मामले में इस प्रकार टिप्पणी की है:

"**154**. मध्यस्थ के पास पूर्व- पंचाट अवधि, वादकालीन की ब्याज और पोस्ट- पंचाट अवधि के लिए ब्याज प्रदान करने की शक्ति पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। धारा 31(7)(a) प्रावधान करती है कि मध्यस्थ अदालत, ऐसी दर पर जिसे वह उचित समझती है, पूरी या किसी हिस्से पर पैसे पर, जिस तारीख को कारण क्रिया उत्पन्न हुई और जिस तारीख को पंचाट दिया जाता है, यानी पूर्व- पंचाट अवधि पर ब्याज प्रदान कर सकती है। यह, हालांकि, पक्षों के बीच अदा नहीं की गई राशियों पर ब्याज की दर के संबंध में समझौते के अधीन है। प्रश्न यह है कि ब्याज पूरी या राशि के हिस्से पर चुकाया जाएगा या यह पूर्व- पंचाट अवधि में प्रदान किया जाना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस संबंध में मध्यस्थ अदालत को अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग जिसके संबंध में (i) ब्याज को किस दर पर प्रदान किया जाना चाहिए; (ii) क्यापंचाटकी पूरी या किसी भाग पर ब्याज प्रदान किया जाना चाहिए; और (iii) क्या पंचाट से पहले की पूरी अवधि या किसी अन्य भाग के लिए ब्याज प्रदान किया जाना चाहिए।

155. 1996 की अधिनियम 18% ब्याज की प्रावधान करती है। समझदार में, अधिकृत ने मुख्य राशि के लिए भी और अंतरिम के लिए भी 10% ब्याज प्रदान किया।पंचाटके कारण, मुख्य राशि पर ब्याज प्रदान किया गया था। इस पर ब्याज अवार्ड की तारीख तक था और भविष्य का ब्याज वार्षिक दर 18% पर था।

156. हालांकि, कुछ मामलों में, इस अदालत ने पक्षों के बीच सम्पूर्ण न्याय करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है।

157. *प्यूर हीलियम इंडिया (पी) लिमिटेड [(2003) 8 SCC 593*] में इस अदालत ने प्रतिवादी को अपील कर्ता को पैसे के भुगतान के लिए वार्षिक दर पर 18% ब्याज के साथ मध्यस्थीय पंचाट को मान्यता दी। हालांकि, बहुत लंबे समय की प्रतीक्षा को ध्यान में रखते हुए, यदि पंचाट पूरी तरह से संतुष्ट किया जाता है, तो प्रतिवादी को ब्याज के रूप में एक विशाल राशि चुकानी होगी। पक्षों के बीच सम्पूर्ण न्याय करने के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकारका अभ्यास करते हुए, यह निर्देशित किया गया कि पंचाट18% प.व. की जगह 6% प.व. की दर पर ब्याज लागू होगा।

158. इसी तरह मुकंद लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड [(2006) 9 SCC 383 : (2006) 4 Scale 453] में, जब यह अदालत विभाजन पीठ द्वारा मान्यता प्राप्त संशोधित पंचाट का निर्णय पुष्टि की, तो अदालत ने विधि द्वारा पास की गई फैसला के बाद विधिक एकल न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गई 11% प्रति वर्ष की ब्याज दर को 7½ % प्रति वर्ष तक घटा दिया, यह मानते हुए कि 7½ % प्रति वर्ष वाजिब ब्याज दर होगी जिसे अदालत द्वारा फैसला के बाद के अवधि के लिए प्रतिवादी को अपील कर्ता द्वारा चुकाया जाने के लिए निर्देशित किया जा सकता था।

159. इस मामले में, लंबे समय की प्रतीक्षा को देखते हुए, न्याय के प्रचार के लिए ब्याज की दर को 7½ % तक घटाना उचित होगा"

18. इससे यह देखा जा सकता है कि संविधान की अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार उपयोग करते हुए, इस अदालत ने ब्याज की दर को 7.5% प्रति वर्ष तक घटा दिया।

19. फिर, ***कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड*** (उपरोक्त) के मामले में, इस अदालत ने ब्याज की दर को घटाते हुए ऐसा कहा:

“11. ठेकेदार द्वारा की गई दावों की यथार्थता पर, हमें विवादित पंचाट दिनांक 25-6-2000 से पता चलता है कि इसमें कई शीर्षक हैं। मध्यस्थ ने प्रत्येक अलग शीर्षक के तहत ठेकेदार के दावों की सूक्ष्मता से जांच की है। हमें किसी भी कारण से हस्तक्षेप करने में कोई कारण नहीं दिखाई देता, ब्याज की दरों और पंचाट में उल्लिखित अवधियों के

लिए ठेकेदार की मशीनों को बेकार रहने पर प्रदान की गई राशि पर छोड़कर। यहां भी हम यह कह सकते हैं कि हम पंचाट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, सिवाय इसके कि हमारे देश में आर्थिक सुधारों के बाद ब्याज प्रणाली में परिवर्तन हुआ है और दरें काफी घट गई हैं और, इसलिए, हम इस विचार में हैं कि मध्यस्थ द्वारा पूर्व-मध्यस्थीकरण अवधि, के लिए और भविष्य के ब्याज को 18% पर प्रदान किया जाए, 9% तक घटा दिया जाए।"

20. उपर्युक्त मामलों और वर्तमान मामले के बीच समानता देखते हुए, हम पाते हैं कि यह वर्तमान मामला भी ऐसा मामला है जिसमें इस अदालत को भारतीय संविधान की अनुच्छेद 142 के तहत ब्याज की दर को घटाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले ही चर्चा किया गया है, प्रतिवादी द्वारा प्रत्येक चरण पर प्रक्रिया में देरी करने की आचरण को ध्यान में रखते हुए, जिससे विवाद की लंबी प्रलंबितता हुई, हम इस विचार में हैं कि, हालांकि मुख्यपंचाटमें हस्तक्षेप करना न्याय के हित में नहीं होगा, यह ऐसा मामला है जिसमें तीन चरणों में ब्याज, अर्थात पूर्व-संदर्भ अवधि, वादकालीन और पंचाट की अवधि के बाद, को घटाने की आवश्यकता है।

21. परिणामस्वरूप, हम अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और निम्नलिखित आदेश पास करते हैं:

(i) प्रतिवादी को 30 अगस्त 1977 से 25 जुलाई 1989 तक और 14 फरवरी 1990 से 4 फरवरी 2000 तक की अवधि के लिए किसी भी ब्याज का हक नहीं होगा;

(ii) बचे हुए समय के लिए तीनों चरणों में, अर्थात पूर्व-संदर्भ अवधि, वादकालीन और पंचाट की अवधि के बाद, प्रतिवादी को प्रति वर्ष 9% की दर पर ब्याज का हक होगा।

22. हमें सूचित किया गया है कि निष्पादन प्रक्रिया अब भी बाकी है। पक्ष इस निर्णय की तारीख से एक माह के भीतर हमारे द्वारा ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार निष्पादन न्यायालय के सामने अपनी गणना प्रस्तुत करेंगे। निष्पादन न्यायालय उसके बाद के एक माह के भीतर उपर्युक्त निर्देशानुसार राशि को मान्य करेगी। अपीलकर्ता निष्पादन न्यायालय द्वारा तय की गई राशि का भुगतान उसके बाद के एक माह के भीतर करेंगे।

23. प्रक्रियाधीन आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाएगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

बिभुति भूषण बोस अपील आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया है।

(प्रीतम भारती, एलसीआरए द्वारा सहायता)

रीना पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा अनुवादित